रजि. सं. डी. एल.-33004/96 REGN. NO. D. L.—33004/96

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 12] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अप्रैल 18, 1996/चैत्र 29, 1918

No. 12] NEW DELHI, THURSDAY, APRIL 18, 1996/CHAITRA 29, 1918

IndiaCode

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय

(भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 अप्रैल, 1996

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (प्रोत्साहन) नियमावली, 1995

सं. एन एच ए आर-12011/10/95-प्रशा.—भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1988 (1988 का 68) की धारा 9 के साथ पठित धारा 35 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण एतद्द्वारा अपने अधिकारियों और कर्मचारियों को दिये जाने वाले कुछ प्रोत्साहनों को विनियमित करने वाले निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ :—(1) इन विनियमों का नाम भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (प्रोत्साहन) विनियमावली, 1995 होगा।

(2) ये सरकारी राजपत्र में अपने प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।

2. परिभाषाएं : (क) इन विनियमों में जब तक अन्यथा अपेक्षित न हो—

(क) "अधिनियम" का अभिप्राय भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1988 (1988 का 68) से है,

(ख) "प्राधिकरण" का अभिप्राय अधिनियम की धारा 3 के तहत गठित भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण से है।

(ग) "अधिकारी अथवा कर्मचारी" का अभिप्राय भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (सेवा) विनियम, 1995 के अध्याय 2 के उपबन्धों के अनुसार नियुक्त प्राधिकरण का कोई अधिकारी/कर्मचारी से है।

(घ) "अनुसूची" का अभिप्राय इन विनियमों के साथ संलग्न अनुसूची से है।

3. छोटे परिवार के मानदण्डों को बढ़ावा देने के लिये प्रोत्साहन : (1) कोई अधिकारी अथवा कर्मचारी जो नसबन्दी के कारण (1) में विनिर्दिष्ट शल्य चिकित्सा

करा लेता है तो वह उक्त तालिका के कालम (2) की तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट राशि का एक ही बार में भुगतान प्राप्त करने का पात्र होगा।

तालिका

शल्य चिकित्सा	यदि कर्मचारी के पास जीवित संतानों की संख्या निम्नानुसार हो		
(1)	(2)		
	तीन से कम	तीन	तीन से अधिक
1. स्त्री नसबंदी (ट्यूबेक्टोमी)	400 रु.	200 रु.	100 रु.
2. पुरुष नसबंदी	200 रु.	150 रु.	100 रु.
3. आई यू सी डी लगाना	25 रु.	15 रु.	10 रु.

(2) ऐसे अधिकारी और कर्मचारी जो उप विनियम (1) में उल्लिखित नकद प्रोत्साहन के पात्र हों वे "वैयक्तिक वेतन" के रूप में विशेष वेतन वृद्धि के भी पात्र होंगे जिसे वेतन की भावी वेतन वृद्धियों में समायोजित नहीं किया जायेगा।

नकद प्रोत्साहन और विशेष वेतन वृद्धि किसी ऐसे अधिकारी अथवा कर्मचारी को प्रदान नहीं की जायेगी जो पुरुष हो और जिसने 50 वर्ष की आयु पार कर ली हो और यदि स्त्री हो तथा 45 वर्ष की आयु पार कर ली हो।

3. कोई अधिकारी अथवा कर्मचारी फार्म "ख" में विनिर्दिष्ट वचनबद्धता के साथ-साथ अनुसूची में विनिर्दिष्ट फार्म "क" में प्राधिकरण को आवेदन और उक्त अनुसूची के फार्म "ग" में किसी रजिस्ट्रीकृत चिकित्सक से एक प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेगा।

4. अन्य प्रोत्साहन :

कोई अधिकारी अथवा कर्मचारी हिन्दी-प्रोन्नति और ऊंची व्यवसायिक अर्हताएं प्राप्त करने के लिये उन्हीं प्रोत्साहनों का पात्र होगा जो केन्द्र सरकार द्वारा समय-समय पर इस संबंध में जारी किये गये आदेशों के अनुसार सरकार के समान स्तर के अधिकारियों को देय हों।

नीलम नाथ, सदस्य (वित्त एवं प्रशा.)

अनुसूची

फार्म "क"

परिवार कल्याण स्कीम के तहत प्रोत्साहन प्रदान किये जाने के लिये आवेदन-पत्र (कर्मचारी द्वारा भरे जाने के लिये)

1. कर्मचारी का नाम :
2. पदनाम :
3. पद का वेतनमान और पद ग्रहण करने की तारीख :
4. वर्तमान वेतन :
5. कौन से प्रो.साहन के लिये आवेदन किया है :
6. नसबंदी/नसबंदी आपरेशन की तारीख :
7. कर्मचारी की जन्म तिथि : (जन्म तिथि का प्रमाण प्रस्तुत करें)
8. पति/पत्नी की जन्म तिथि : (जन्म तिथि का प्रमाण प्रस्तुत करें)
9. जीवित संतानों की संख्या और उनकी जन्म तिथि :

मैं यह घोषणा करता हूं/करती हूं कि यदि किसी भी कारणवश मेरे पति/पत्नी को पुनः सरणिकरण (रिकेनेलाइजेशन) कराना पड़ा तो मैं प्राधिकरण को तुरन्त इस तथ्य की सूचना देने का वचन देता/देती हूं। इस समय मेरी पत्नी गर्भवती नहीं है।

जिस डाक्टर द्वारा अस्पताल में नसबंदी करायी गयी थी उस डाक्टर/अस्पताल द्वारा अपेक्षित प्रपत्र में जारी किया गया एक प्रमाण पत्र संलग्न है।

सत्यापित किया जाता है कि जहां तक मेरी जानकारी और विश्वास है ऊपर दी गई सूचना सत्य है।

कर्मचारी के हस्ताक्षर

पदनाम

कार्य का स्थान

इस सूचना को कर्मचारी सेवा अभिलेखों से जांच कर ली गई है।

अधिकारी के हस्ताक्षर

पदनाम

IndiaCode

फार्म "ख"

कर्मचारी द्वारा दिया गया वचनबंध

मैंने/मेरी पत्नी/मेरे पति ने को में पुरुष नसबंदी/स्त्री नसबंदी कराई है। द्वारा जारी आवश्यक बंध्यकरण प्रमाण पत्र संलग्न है। यदि किसी भी कारणवश मेरी पत्नी/मेरे पति को पुनः संरणिकरण (रिकेनेलाईजेशन) कराना पड़ा तो मैं प्राधिकरण को तुरन्त इस तथ्य की सूचना देने का वचन देता/देती हूं।

2. मैं यह भी सत्यापित करता हूं कि मेरी पत्नी श्रीमती आज की तिथि तक गर्भवती नहीं है।

(पैरा 2 केवल पुरुष कर्मचारियों के लिये)

हस्ताक्षर

फार्म "ग"

नसबंदी प्रमाण पत्र

मैं डा. एतद्द्वारा यह प्रमाणित करता हूं कि मैंने श्री/श्रीमती पति/पत्नी श्री/श्रीमती जो में (स्थान) में (कार्यालय का नाम) के रूप में नियुक्त है, को दिनांक नसबंदी*/ नलबंदी की है।

2. दिनांक को शुक्राणु गणना की गई थी जिसके आधार पर यह प्रमाणित किया जाता है कि सफल नसबंदी हुई है।

(केवल नसबंदी के मामले में पैरा 2)

*जो शब्द लागू न हों उन्हें काट दें।

हस्ताक्षर

MINISTRY OF SURFACE TRANSPORT

NOTIFICATION

New Delhi, the 18th April, 1996

NATIONAL HIGHWAY AUTHORITY OF INDIA (INCENTIVES) REGULATIONS, 1995

No. NHAR/12011/10/95-Admn.—In exercise of the powers conferred by section 35 read with section 9 of the National Highways Authority of India Act, 1988 (68 of 1988) the National Highway Authority of India hereby makes the following regulations regulating the grant of certain incentives to its officers and employees, namely :—

1. Short title and commencement :—(1) These regulations may be called the National Highways Authority of India (Incentives) Regulations, 1995.

(2) They shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.

2. Definitions :—In these regulations unless the context otherwise requires :—(a) "Act" means the National Highways Authority of India, Act, 1988 (68 of 1988) ;

(b) "Authority" means the National Highways Authority of India constituted under section 3 of the Act ;

(c) "Officer or employee" means an Officer or employee of the Authority appointed in accordance with the provisions of Chapter II of the National Highway Authority of India (Services) Regulation, 1995 .

(d) "Schedule" means the Schedule annexed to these regulations.

3. Incentives for promoting small family norms : (1) An Officer or employee who undergoes the operations specified in column 1 of the Table shall be entitled to the grant of one time payment of the amount specified in the corresponding entry in column 2 of the said Table.

TABLE

Operations	Employees has living children		
	Less than three	Three	More than three
	Rs.	Rs.	Rs.
(i) Tubectomy	400	200	100
(ii) Vasectomy	200	150	100
(iii) IUCD insertion	25	15	10

(2) The officers and employees who are entitled to the cash incentive referred to in sub-regulation (1) shall also be entitled to a special increment in the form of "personal pay" which shall not be absorbed in future increases of pay ;

Provided that the cash incentive and the special increment shall not be granted to an officer or employee who, in case of a male employee has crossed the age of fifty years and in the case of a female employee has crossed the age of forty-five.

(3) An officer or employee shall make an application to the Authority in Form "A" specified in the Schedule accompanied by an undertaking specified in Form "B" and a certificate from a registered medical practitioner in Form "C" of the said Schedule.

(4) Other incentives :—An officer or employee shall be entitled to such incentives for the promotion of Hindi and for acquisition of higher professional qualifications as are payable to an officer of equivalent rank of the Government in accordance with the orders issued in this regard by the Central Government from time to time.

NEELAM NATH, Member (F & A)

SCHEDULE

FORM—A

Proforma for application for grant of incentives under Family Planning Scheme (To be filled in by the employee).

1. Name of the Employee :
2. Designation :
3. Scale of pay of the post and date from which held. :
4. Present pay :
5. Nature of incentive applied for
6. Date of Vasectomy/Tubectomy operation :
7. Date of birth of the employee (Proof of date of birth to be furnished.) :
8. Date of Birth of Husband/ Wife (Proof of date of birth to be furnished). :
9. Number of living children alongwith their date of birth. :

I declare that in case I/my spouse have to take resort to recanalisation for any reason whatsoever, I undertake to report this fact forthwith to the Authority. My wife is not pregnant on date.

A certificate in the requisite proforma issued by the Doctor/Hospital where the sterilisation operation was performed is enclosed.

Verified that the information given above is true to the best of my knowledge and belief.

Sig. of Employee———————

Designation ———————

Place of working———————

Verified the information from service records of the employee.

Sign. of the Officer———————

Designation ———————

FORM—B

UNDERTAKING TO BE GIVEN BY AN EMPLOYEE

I|my spouse have|has undergone vasectomy|Tubectomy operation at ———————— on ————— Necessary sterilisation certificate issued by———— is enclosed. In case I/my spouse have to take resort to recanalisation for any reason whatsoever I undertake to report this fact forthwith to the Authority.

2. I also certify that my wife Smt.———————— is not pregnant on this date.

(Para 2 for male employee only)

Signature———————

FORM—C

STERILISATION CERTIFICATE

I, Dr.———————————hereby certify that I have conducted * Vasectomy/Tubectomy operation on Shri/Smt.———————husband/wife of Shri/Smt. ———————— employed as ———————in———————at ———————— on————————.

2. A sperm count was undertaken on———————— and on the basis thereof it is certified that the Vasectomy Oepartion has been completed successful.
(Para 2 in the case of Vasectomy Operations only)

*Delete words where not applicable.

Signature.———————

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Maya Puri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. 1996